

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 10/2023-एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2023

सा.का.नि.....(अ)- एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 27/2018- एकीकृत कर (दर), दिनांक 31 दिसंबर, 2018, जिसे सा.का.नि. 1266 (अ), दिनांक 31 दिसंबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,-

(A) प्रारंभिक पैराग्राफ में, वाक्यांश "पैराग्राफ 4.41" के स्थान पर, वाक्यांश "पैराग्राफ 4.40" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(B) स्पष्टीकरण में, -

(i) खंड (क) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(क) “विदेश व्यापार नीति” से अभिप्राय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2023 की अधिसूचना संख्या 1/2023, द्वारा का.आ. 1565 (अ) दिनांक 31 मार्च, 2023 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में “प्रकाशित विदेश व्यापार नीति, 2023” से है।”

(ii) खंड (ख) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ख) “हैंड बुक ऑफ़ प्रोसीजर्स” से अभिप्राय, प्रोसीजर्स वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2023 के सार्वजनिक सूचना संख्या 01/2023 के तहत दिनांक 1 अप्रैल, 2023 की फा.सं. 01/75/171/00016/एम-23/एफटीपी सेल, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में प्रकाशित “हैंड बुक ऑफ़ प्रोसीजर्स” से है।”

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2023 को लागू होगी।

[फा.सं. 190354/133/2023-टिआरयू]

(नितिश कर्नाटक)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 27/2018-एकीकृत कर (दर), दिनांक 31 दिसंबर, 2018 को सा.का.नि. 1266 (अ), दिनांक 31 दिसंबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 17/2019-एकीकृत कर (दर), दिनांक 30 सितंबर, 2019, सा.का.नि. 719 (अ), दिनांक 30 सितंबर, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया था।